

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ओ-62) अलेसे-1/

दिनांक:- 3-9-2014

आदेश संख्या: 67/2014-15

विभागीय आदेश संख्या 25/2014-15 दिनांक 20.06.14 के द्वारा श्री ओमप्रकाश माली, उपकोषाधिकारी नोखा (बीकानेर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26.05.14 के अनुक्रम में दिनांक 05.09.14 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गयी थी। श्री ओमप्रकाश माली ने अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किया था, कि उनके विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं है, जबकि श्री माली के विरुद्ध प्रकरण संख्या 5/10 में धारा 498ए, 406, 323 भा.द.सं. में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर में विचाराधीन हैं। अतः श्री माली के उक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री ओमप्रकाश माली, उपकोषाधिकारी नोखा (बीकानेर) के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

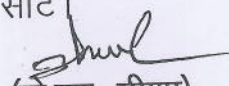
विभागीय आदेश संख्या 365/2013-14 दिनांक 29.01.14 से श्री ओमप्रकाश माली, उपकोषाधिकारी नोखा (बीकानेर) के जारी सेवानिवृत्ति आदेश में भी श्री माली के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/ प्रस्तावित नहीं, के स्थान पर अपराध संख्या 5/10 में धारा 498ए, 406, 323 भा.द.सं. में लम्बित पढ़ा जावे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ओ-62) अलेसे-1/ 3233-37 दिनांक:- 3-9-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर।
3. श्री ओमप्रकाश माली, उपकोषाधिकारी नोखा (बीकानेर)।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एंट्री करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)